

राजस्थान -सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक/नर्सिंग/नर्स-2/एसीपी-जून 16/2017/०९

दिनांक:- ०९-०१-२०१७

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ० 11(07) एफ.डी./नियम/2008 दिनांक 12.09.08 एवं एफ.14 (1) एफ.डी. (नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.13 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित नर्स-1,नर्स-2 जिन्होंने 18 एवं 27 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से आशास्वित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है -

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैंड/च. वेतनमान	देय पे ग्रेड
1	बलवीर प्रसाद शर्मा नर्स-2	करौली	26.09.1998	26.09.2016 18 वर्ष	9300-34800	5400
2	श्रवण कुमार पुरोहित नर्स-2	अजमेर	23.07.1988	23.07.2015 27 वर्ष	15600-39100	6000
3	जसवन्त कुमार नर्स-2	श्री गंगानगर	03.09.1998	03.09.2016 18 वर्ष	9300-34800	5400
4	मोहम्मद शफीक नर्स-2	भीलवाडा	22.11.1988	06.10.2015 18 वर्ष	9300-34800	5400
5	जस्सा राम बेडा नर्स-2	जोधपुर	30.05.1989	30.05.2016 27 वर्ष	15600-39100	6000
6	स्नेहलता पण्ड्या नर्स-2	डूंगरपुर	13.10.1998	13.10.2016 18 वर्ष	9300-34800	5400
7	सुरेश चन्द नाई नर्स-2	डूंगरपुर	28.09.1998	28.09.2016 18 वर्ष	9300-34800	5400
8	मदन सिंह रतनू नर्स-2	जोधपुर	30.05.1989	30.05.2016 27 वर्ष	15600-39100	6000
9	ओम प्रकाश नर्स-1	जोधपुर	18.09.1989	18.09.2016 27 वर्ष	15600-39100	6000
10	बीरमलाल भाटी नर्स-1	अजमेर	28.09.1989	28.09.2016 27 वर्ष	15600-39100	6000
11	यजुवेन्द्र सिंह यादव नर्स-2	जयपुर	27.10.1998	27.10.2016 18 वर्ष	9300-34800	5400
12	मनीष ऐरन नर्स-2	जयपुर	23.11.1998	23.11.2016 18 वर्ष	9300-34800	5400
13	बंशीधर कुम्हार नर्स-2	जयपुर	03.11.1998	03.11.2016 18 वर्ष	9300-34800	5400

नोट:-

- क्र०स० 4 पर अंकित कार्मिक के दिनांक 01.06.02 के बाद तीसरी संतान होने के कारण वित्त विभाग के आदेश दिनांक 06.10.15 की पालना में दिनांक 06.10.15 को 18 वर्षीय आशास्वित कैरियर प्रगति स्वीकृत की गयी है।
- क्र०स० 4 के अतिरिक्त दिनांक 1.6.2002 के पश्चात यदि किसी कार्मिक के तीसरी संतान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

-sd-

(रामनिवास जाट)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: ई-11/नर्स-2/एसीपी-जून/17/09

दिनांक: 09.01.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन,।
- 2.सम्बन्धित अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
- 3.सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
- 4.सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
- 5.प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
- 6.आदेश पत्रावली।

0/211

(रामनिवास जाट)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।